



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

[Fax: 0141-2385027(O), E-Mail ID: rajpr_dsplan@rediffmail.com

क्रमांक:एफ.40परावि/आप्र/डीपीसी/15/1557

जयपुर, दिनांक: 5/10/2015

::आदेश::

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 (सपठित राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 350) के अनुसरण में जिला अलवर के लिए जिला आयोजना समिति का निम्नानुसार गठन/पुनर्गठन किया जाता है:-

| क्र.सं. | नाम | अध्यक्ष/सदस्य | निर्वाचित/नामित |
|---------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. | श्रीमती रेखा देवी | अध्यक्ष | - |
| 2. | श्री अरविन्द कुमार यादव | जिला आयोजना समिति सदस्य | निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र) |
| 3. | श्री चन्द्रभान गुर्जर | जिला आयोजना समिति सदस्य | निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र) |
| 4. | श्री दुली चन्द कुम्हार | जिला आयोजना समिति सदस्य | निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र) |
| 5. | श्रीमती पंकी मीणा | जिला आयोजना समिति सदस्य | निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र) |
| 6. | श्रीमती प्रेमलता | जिला आयोजना समिति सदस्य | निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र) |
| 7. | श्री बनवारी लाल | जिला आयोजना समिति सदस्य | निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र) |
| 8. | श्रीमती मंजू चौधरी | जिला आयोजना समिति सदस्य | निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र) |
| 9. | श्रीमती ममता गुर्जर | जिला आयोजना समिति सदस्य | निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र) |
| 10. | श्री रमन गुलाटी | जिला आयोजना समिति सदस्य | निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र) |
| 11. | श्रीमती राजवन्ती चौधरी | जिला आयोजना समिति सदस्य | निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र) |
| 12. | श्रीमती रीना महावर | जिला आयोजना समिति सदस्य | निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र) |
| 13. | श्रीमती रीना शर्मा | जिला आयोजना समिति सदस्य | निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र) |
| 14. | श्री लिखमी चन्द | जिला आयोजना समिति सदस्य | निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र) |
| 15. | श्रीमती सीमा | जिला आयोजना समिति सदस्य | निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र) |
| 16. | श्रीमती सोनू यादव | जिला आयोजना समिति सदस्य | निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र) |
| 17. | श्री हरिओम कटारा | जिला आयोजना समिति सदस्य | निर्वाचित(ग्रामीणक्षेत्र) |

जिला आयोजना समिति में निर्वाचित 20 सदस्यों के अतिरिक्त 5 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें जिले के जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद स्थाई सदस्य है। दो सदस्य (माननीय लोक सभा/विधान सभा/गैर स्वयं सेवा संथा के सदस्यों) का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है। मुख्य आयोजना अधिकारी जिला आयोजना समिति के सचिव रहेंगे।

जिला परिषद एवं स्थानीय निकायों के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचित किये गये सदस्य जिला आयोजना समिति के तब तक ही सदस्य रहेंगे

जब तक वे जिला परिषद/स्थानीय निकाय के सदस्य रहते हैं। शहरी क्षेत्र के सदस्यों के निवारण के उपरान्त संशोधित आदेश जारी किये जावेगे।

संयुक्त शासन सचिव
जिला आयोजना

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग जयपुर।
4. निजी सचिव, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जिला अलवर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर।
7. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर।
8. मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला अलवर को भेजकर लेख है कि जिला आयोजना समिति के सभी सदस्यों को उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।

संयुक्त शासन सचिव
जिला आयोजना